FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0255 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/09/2026 15:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 08/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 08/10/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:50 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/09/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/09/2026 15:21:08 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 200 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARAYALAY PANCHAYAT SAMITI, KHIVSAR JILA NAGAUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PADMARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DURGARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NANDWANI, KHIVSAR, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NANDWANI, KHIVSAR, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	CHAIN SINGH MEENA		पिता:PRABHUDAYAL MEENA	1. SANJAY COLONY NAGAUR,Kotwali Nagaur,NAGAUR,RAJASTHAN,I
2	HEMANT KUMAR BARIYA		पिता:PRBHUDYAL	1. KAYSTH MOHALLA, NAGAUR,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध	आरोपी श्री चैन सिंह मीणा	

1	अन्य	विविध	द्वारा 43500 रूपये एवं आरोपी श्री हेमन्त कुमार बारिया द्वारा 15000 रूपये रिश्वत की मांग करना।	

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नागौर, विषय- विकास अधिकारी व एल.डी.सी. चेनाराम व हेमन्त कुमार को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्। महोदयजी, निवेदन है कि मैं पदमाराम पुत्र श्री दुर्गाराम, जाति जाट, उम्र 45 वर्ष, निवासी नन्दवाणी, तहसील खींवसर, पुलिस थाना खींवसर, जिला नागौर का रहने वाला हूं। वर्तमान में मेरे पिताजी दुर्गाराम जी ग्राम पंचायत ढींगसरा के सरपंच है। जिनकी उम्र करीब 80 वर्ष है, अक्षर बिमार रहने से उनका कार्य उनकी सहमति से पुत्र होने के नाते मैं ही देखता हूं। ग्राम पंचायत ढींगसरा में महानरेगा कार्य चल रहा है जिसमें पूर्व के सप्लाई सामग्री के भुगतान की एवज में मेरे से पंचायत समिति खींवसर के बी.डी.ओ. राजेन्द्र कुमार व एल.डी.सी. चेनाराम व हेमन्त कुमार द्वारा मेरे भुगतान की राशि करीब 14 लाख का 3 प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग कर रहे है तथा पुराने कार्यो की यू.सी. व सी.सी. समायोजन व भुगतान करने में तीनों रिश्वत की मांग करते हैं। जिस पर मैंने मेरे पिताजी सरपंच ग्राम पंचायत ढींगसरा दुर्गाराम जी से इस सम्बन्ध में बात की तो सरपंच साहब ने कहा की आप इनके विरूध रिश्वत लेते हुऐ को पकड़वाने की कानूनी कार्यवाही कराओं। मैं मेरे वाजीब काम के बदले इन लोगों को रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। रिश्वत लते हुऐ को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरा इन लोगों से कोई उधार लेने-देने नहीं है तथा ना ही कोई रंजीश है। मैं मेरे पिताजी की सहमति से रिपोर्ट परस्तुत कर रहा हूं। कानूनी कार्यवाही करें।“ कार्यवाही पुलिस दिनांक 08.10.2024 समय 10.50 एएम - इस समय परिवादी श्री पदमाराम पुत्र श्री दुर्गाराम, जाति जाट, उम्र 45 वर्ष, निवासी नन्दवाणी, तहसील खींवसर, पुलिस थाना खींवसर, जिला नागौर उपस्थित कार्यालय आया व एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कल्पना सोलंकी को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ”मैं पदमाराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी नन्दवाणी तह० खींवसर, नागौर का रहने वाला हूं। वर्तमान में मेरे पिताजी दुर्गाराम जी ग्राम पंचायत ढींगसरा के सरपंच है। जिनकी उम्र करीब 80 वर्ष है, अक्षर बिमार रहने से उनका कार्य उनकी सहमति से पुत्र होने के नाते मैं ही दखता हूं। ग्राम पंचायत ढींगसरा में महानरेगा कार्य चल रहा है जिसमें पूर्व के सप्लाई सामग्री के भुगतान की अवज में मेरे से पंचायत समिति खींवसर के बीडीओ राजेन्द्र कुमार व एल.डी.सी. चेनाराम व हेमन्त कुमार द्वारा मेरे भुगतान की राशि करीब 14 लाख का 3 प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग कर रहे है तथा पुराने कार्यो की यू.सी. व सी.सी. समायोजन व भुगतान करने में तीनों रिश्वत की मांग करते हैं। जिस पर मैंने मेरे पिताजी सरपंच ग्राम पंचायत ढींगसरा दुर्गाराम जी से इस सम्बन्ध में बात की तो सरपंच साहब ने कहा की आप इनके विरूध रिश्वत लेते हुऐ को पकड़वाने की कानूनी कार्यवाही कराओं। मैं मेरे वाजीब काम के बदले इन लोगों को रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। रिश्वत लते हुऐ को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरा इन लोगों से कोई उधार लेने-देने नहीं है तथा ना ही कोई रंजीश है। मैं मेरी पिताजी की सहमति से रिपोर्ट परस्तुत कर रहा हूं। कानूनी कार्यवाही करें।“ परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत ढींगसरा में महानरेगा के तहत करवाये जाने वाले समस्त कार्यों के लिए विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार व कनिष्ठ लिपिक श्री चेनाराम व हेमन्त कुमार बिना रिश्वत लिये कोई कार्य नहीं करते हैं। मेरे पिताजी सरपंच ग्राम पंचायत ढींगसरा द्वारा पूर्व में करवाये गये कार्यों की भुगतान की एवज में उक्त तीनों आरोपी 3 प्रतिशत कमीशन की रिश्वत के रूप में मांग कर रहे हैं। मेरे पिताजी बिमार होने से पंचायत कार्यों की देखभाल भी उनकी सहमति से मैं ही करता हूं। जब तक मैं इन तीनों लोगों को रिश्वत राशि नहीं दूंगा तो आगे से हमारी ग्राम पंचायत मैं कोई कार्य स्वीकृत नहीं करेंगे तथा पुराने कार्यों की यू.सी. व सी.सी. समायोजन व भुगतान भी नहीं करेंगे। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी श्री पदमाराम व श्री कुमेरदान कानि0 194 को मय वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु रवाना किया। परिवादी एवं श्री कुमेरदान कानि0 बाद सत्यापन वार्ता उपस्थित आये। परिवादी ने बताया कि मैं पंचायत समिति कार्यालय में गया। श्री राजेन्द्र कुमार विकास अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले जिस पर मैं श्री चेनाराम कनिष्ठ

लिपिक से मिला व अपने मनरेगा भुगतान कार्य के संबंध में बातचीत की तो चेनाराम ने मेरे से करीब 14 लाख रूपये के भुगतान की एवज में 3 प्रतिशत के हिसाब से 42,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा उसके बाद मैं श्री हेमन्त कुमार कनिष्ठ लिपिक से मिला तो उसने मेरे पुराने कार्यों के भुगतान की एवज में दस से पन्द्रह हजार रूपये बतौर रिश्वत राशि की मांग की। दिनांक 10.10.2024 को पुनः परिवादी श्री पदमाराम के साथ श्री कुमेरदान कानि0 को भेजकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया तो परिवादी ने बताया कि पंचायत समिति में मैंने बीडीओ साहब से अपने मनरेगा भुगतान कार्य के संबंध में बातचीत की लेकिन अन्य व्यक्ति मौजूद होने से बीडीओ साहब ने रिश्वत राशि के संबंध में कोई स्पष्ट वार्ता नहीं की परन्तु श्री राजेन्द्र कुमार की रिश्वत लेने की मंशा जाहिर होती है। पुनः दिनांक 16.10.2024 को सत्यापन करवाया गया तो परिवादी ने बताया कि मैं बीडीओ साहब से मिला व मेरे द्वारा चेनाराम व हेमन्त कुमार कनिष्ठ सहायक के द्वारा 3 प्रतिशत कमीशन बतौर रिश्वत राशि की मांग के बारे में बताया तब विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार ने सहमति देते हुए कहा कि इसमें अलग से तो कुछ है नहीं। जो है, वो है तथा मेरे से स्पष्ट रिश्वत राशि की मांग नहीं की। दिनांक 16.12.2024 को परिवादी श्री पदमाराम ने एसीबी कार्यालय नागौर उपस्थित होकर बताया कि मेरे पिताजी को वर्तमान में सरपंच पद से निलम्बित किया जा चुका है तथा श्री राजेन्द्र कुमार विकास अधिकारी मेरे से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करता है। परिवादी श्री पदमाराम से पूर्व में श्री चेनाराम व हेमन्त कुमार कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति, खींवसर से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही बाबत् पूछा तो बताया कि मैं श्री राजेन्द्र कुमार विकास अधिकारी के विरूद्ध ही ट्रेप कार्यवाही करवाना चाहता हूं। श्री चेनाराम कनिष्ठ सहायक व श्री हेमन्त कुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार के लिए ही रिश्वत की मांग की गई है। इसलिए मैं उन दोनों कनिष्ठ सहायकों को ट्रेप नहीं करवाना चाहता हूं। इस पर स्वतन्त्र गवाहान श्री पवन चैधरी व श्री नरेन्द्र सिंह को तलबकर ट्रेप कार्यवाही के बारे मे बताया जाकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त की गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे दोनों मैमोरी कार्डो मे रिकार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट एवं चार पैन ड्राईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। मूल मैमोरी कार्डो व पैन ड्राईव की हैज वैल्यू निकलवायी। मूल मैमोरी कार्ड निकालकर दोनों मैमोरी कार्डो को एक ही कपड़े की थैली में डालकर शील्ड किया तथा चार पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक शील्ड किया। तत्श्चात् फर्द नमूना सील तैयार की गई। सील्डशुदा आर्टिकल जमा मालखाना करवाये। आरोपीगण के सेवा विवरण प्राप्त किये गये तो आरोपी चैनाराम का नाम चैन सिंह मीणा एवं पद कनिष्ठ सहायक नही होकर वरिष्ठ सहायक होना एवं आरोपी हेमन्त कुमार बारिया का पद कनिष्ठ सहायक नही होकर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी होना पाया गया। दिनांक 08.10.2024 को परिवादी एवं श्री चैन सिंह मीणा, वरिष्ठ सहायक के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में श्री चैनसिंह मीणा द्वारा परिवादी को कहा जाता है कि '' चौदह तिया बियांलिस, साढे तैयालिस हजार तो वो हो गये।'' इस पर परिवादी कहता है कि ''साहब बीडीओ साहब का और बाकी छोटा मोटा'' तो आरोपी श्री चैनसिंह मीणा कहता है कि ''उसमें सभी हैं।'' तत्पश्चात् चैनसिंह मीणा कहता है कि चार पांच काम यही है इसमें आपके हिसाब से दे देना।'' इस पर परिवादी कहता है कि ''आपका और बीडीओ साहब का, दूसरो का होगा जैसे करता रहूंगा।'' इस पर आरोपी चैनसिंह मीणा कहता है कि ''कुछ नही आपका जैसे मन हो वैसे करना, कोई फिक्स नही''। दिनांक 08.10.2024 को परिवादी एवं श्री हेमन्त कुमार बारिया, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी हेमन्त कुमार कहता है कि तीन चार पेमेंट किये हुवे है'' इस परिवादी कहता है कि चार है, कितने हो जायेगे, थोडा आप बता दो मुझे.... आपने जो कहा वैसे कर दूंगा। दस हजार बहुत है।'' इस आरेापी हेमन्त कहता है कि कुछ तो आगे बढ़ो।'' इस परिवादी कहता है कि आप जो कहो वैसे कर लेगे।'' इस पर आरोपी हेमन्त कहता है कि ''डीएमएफटी का आपके हाथो हाथ डाला था।'' इस पर परिवादी कहता है कि चलो प्यार बनाये रखना आप, आगे ओर दे देंगे, पन्द्रह दे देंगे, मेरे उधर से आयेगे तो अभी ले आउंगा नही तो सुबह ले आउंगा, मेरा यह हो जाये तो बीडीओ साहब को बात कर देना। इस पर आरोपी हेमन्त कहता है कि ठीक हैं। उपरोक्त समस्त कार्यवाही व फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री पदमाराम एवं आरोपी श्री चैन सिंह मीणा, वरिष्ठ सहायक के मध्य दिनांक 08.10.2024 को पंचायत समिति खींवसर में हुई रूबरू वार्ता से स्पष्ट है कि आरोपी श्री चैन सिंह मीणा, वरिष्ठ सहायक, पंचायत समिति खींवसर द्वारा परिवादी श्री पदमाराम के ग्राम पंचायत ढींगसरा में हुए मनरेगा कार्यों के सप्लाई सामग्री के भुगतान करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 14,50,000 रूपये कुल भुगतान के 3 प्रतिशत कमीशन के रूप में कुल 43,500 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना व परिवादी श्री पदमाराम व आरोपी श्री हेमन्त कुमार बारिया, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति, खींवसर के मध्य दिनांक 08.10.2024 को पंचायत समिति खींवसर में रूबरू हुई वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से आरोपी श्री हेमन्त कुमार बारिया द्वारा परिवादी श्री पदमाराम के डी.एम.एफ.टी. का भुगतान करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 15,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग किये जाने पर उपरोक्त दोनों आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बी.एन.एस. का अपराध कारित करना पाया गया हैं। परिवादी श्री पदमाराम व श्री राजेन्द्र कुमार, विकास अधिकारी, पंचायत समिति खींवसर के मध्य दिनांक 10.10.2024 व 16.10.2024 को पंचायत समिति खींवसर में रूबरू हुई रिश्वत

मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी द्वारा पुराने पेमेण्ट 14,50,000 रूपये के भुगतान संबंधी 3 प्रतिशत राशि की मांग श्री चैन सिंह मीणा व हेमन्त कुमार बारिया द्वारा करने का बताने पर श्री राजेन्द्र कुमार विकास अधिकारी ने कहा कि मैंने तो कोई अलग से बात करी नहीं अर्थात श्री राजेन्द्र कुमार, विकास अधिकारी द्वारा उक्त आरोपीगण द्वारा की गई 3 प्रतिशत कमीशन की बात का खण्डन नही किया गया हैं। इस प्रकार श्री राजेन्द्र कुमार विकास अधिकारी की भूमिका अनुसंधान से स्पष्ट होगी। उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं। (कंचन भाटी) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टेलिजेंस यूनिट, अजमेर.....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कंचन भाटी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, इन्टेलिजेंस यूनिट, अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बी.एन. एस. 2023 में आरोपीगण (1) श्री चैन सिंह मीणा पुत्र श्री प्रभुदयाल मीणा, उम्र 36 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी, नागौर, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक, पंचायत समिति खींवसर जिला नागौर एवं (2) श्री हेमन्त कुमार बारिया पुत्र श्री प्रभुदयाल उम्र 51 वर्ष निवासी कायस्थ मोहल्ला, नागौर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति खींवसर जिला नागौर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रमेश चन्द माचरा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 115 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1470-75 दिनांक 08.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर 4-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 5-अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टेलिजेंस यूनिट, अजमेर 6-अति. पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, (प्राथमिक जॉच संख्या 14/25)। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ramesh Chandra Machra **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/09/2026 15:24:24

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				
2	Male	1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)